

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 09/2018

तारीख रजू:-02.02.2018

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर

R.A.S.

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 1. महावीरा | पिसरान चम्पाराम, जाति-मीना |
| 2. कलुवाराम | निवासी श्यामपुर मुंडरी, तह० हिण्डौन |
| 3. शिवराम | जिला-करौली, राजस्थान _____ सायलान |

बनाम

| | | |
|------------|----------|-------------------------|
| 1. रामसहाय | पिसरान | जाति सभी मीनागण, |
| 2. हरभजन | किशोरी | निवासी श्यामपुर मुंडरी, |
| 3. लोहडे | | तहसील हिण्डौन सिटी, |
| 4. मन्दू | पिसरान | जिला-करौली, |
| 5. जल्ला | जयनारायण | राजस्थान । |
| 6. गोरधन | पिसरान | |
| 7. सिरमोहर | मूलचन्द | |
| 8. श्रीराम | | _____ गैरसायलान |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी

- उपस्थित:-1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान
2. श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :- 02.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 151 विरुद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं० 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने इस सम्मानीय अदालत में गैरसायलान


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के विरुद्ध उक्त उनवान का दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं० 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 712 रकबा 0.27 है०, 788 रकबा 0.07 है०, 790 रकबा 0.08 है०, 794 रकबा 0.08 है०, 802 रकबा 0.08 है०, 834 रकबा 0.12 है०, 869 रकबा 0.20 है०, 873 रकबा 0.06 है०, 893 रकबा 0.15 है०, 897 रकबा 0.23 है०, 901 रकबा 0.07 है०, 934 रकबा 0.06 है०, 942/1609 रकबा 0.08 है०, 946 रकबा 0.13 है०, 950 रकबा 0.11 है०, 951 रकबा 0.11 है०, 954 रकबा 0.14 है०, 956 रकबा 0.04 है०, 974 रकबा 0.14 है०, 987 रकबा 0.20 है०, 1219 रकबा 0.28 है०, 1330 रकबा 0.18 है०, 1343 रकबा 0.15 है०, 1404 रकबा 0.03 है०, 1430 रकबा 0.29 है०, 1442 रकबा 0.13 है०, 1443 रकबा 0.31 है०, 1462 रकबा 0.01 है० किस्म गैर मुमकिन चाह, 1463 रकबा 0.31 है०, 1464 रकबा 0.23 है०, 1470 रकबा 0.19 है०, 1488 रकबा 0.24 है०, 1571 रकबा 0.42 है० कुल किता 33 कुल रकबा 5.19 है० स्थित ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन सायलान बहिस्सा 1/2 व खातेदार मुरारी व राजीव बहिस्सा 1/2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है।

प्रार्थना पत्र के मद नं० 3 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1571 रकबा 42 एयर स्थित ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन बाहमी बंटवारे में आपसी सहमति के आधार पर सायलान के हिस्से में आया है। जिस पर सायलान बहिस्सा बराबर मौके पर बतौर मालिक काबिज एवं दखील हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं० 4 में दर्ज किया है कि वाक्या दिनांक 30.01.2018 को सुबह 10 बजे का है कि सायलान अपने हिस्से की भूमि में बोई फसल गेहूं व सरसों की साल संभाल करने गये, तो समस्त गैरसायलान एक राय होकर मौके पर आ गये और कहने लगे कि तुम इन खेतों पर क्यों आये हो। ये खेत तो हमारे हैं। इन खेतों से तुम्हारा कोई लेना-देना नहीं है। जिस पर सायलान ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया कि ख०नं० 1571 हमारी 1/2 हिस्सेदारी है एवं बाहमी बंटवारे में ये खेत हमारे हिस्से में आया है। कोई



उपर्युक्त अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अन्य खातेदार का इस खेत से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन गैरसायलान किसी की एक मानने को तैयार नहीं हैं एवं सायलान के खेत ख०नं० 1571 पर जबरन कब्जा करने की फिराक में हैं। इसलिए गैरसायलान के इरादे नेक नहीं हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं० 5 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबों में कामयाब हो गये, तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना भी संभव नहीं हो सकेगी, जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी ख०नं० 1571 रकबा 42 एयर स्थित ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन में बोई हुई फसल गेहूं व सरसों को किसी प्रकार खुर्द-बुर्द नहीं करें तथा सायलान को बेदखल नहीं करें तथा जबरन कब्जा नहीं करें तथा कोई निर्माण कार्य नहीं करें ना किसी अन्य से करावें, जिससे हकूक सायलान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 12.03.2018 को गैरसायलान की ओर से श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। दिनांक 04.09.2025 को गैरसायलान की ओर से उनके अधिवक्ता ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं०1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नंबर 1 गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादी ने दावा गलत तथ्य दर्ज कर पेश किया है तथा दर० हाजा अंतर्गत धारा 151 जा०दी० गैर-कानूनी पेश की है। सायलान ने पूर्व में ही दावा के साथ प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर रखा है जो कि विचाराधीन है, इसलिए दर० हाजा चलने योग्य है।



उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि मद नंबर 2 में दर्ज आराजीयात वाके ग्राम श्यामपुर मूंडरी, तहसील हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार है। जिसमें 1/2 हिस्से के वादी सायल एवं 1/2 हिस्से के मुरारी, राजीव पिसरान नथुआ खातेदार काश्तकार हैं, जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नंबर 3 गलत होने के कारण अस्वीकार है। आराजी खसरा नंबर 1571 रकबा 42 एयर स्थित ग्राम श्यामपुर मूंडरी, तहसील हिण्डौन बाहमी बंटवारे में सायलान के हिस्से में नहीं आई, बल्कि उक्त भूमि सह-खातेदारान मुरारी, राजीव के हिस्से में आई थी। तथा उन्होंने उक्त भूमि करीब 34 साल पूर्व प्रतिवादी गैरसायल रामसहाय, गोरधन, मन्दू को विक्रय कर दी तथा उन्होंने गैरसायलान के हक में दिनांक 13.07.2018 को एक इकरारनामा तहरीर व तामील कराकर नोटरी से तस्दीक करा दिया। गैरसायलान का ख०नं० 1571 पर करीब 34 साल से निरन्तर कब्जा काश्त है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नंबर 4 गलत होने के कारण अस्वीकार है। दिनांक 30.01.2018 को सायलान व गैरसायलान के मध्य किसी प्रकार की कोई कहा-सुनी नहीं हुई। उक्त भूमि करीब 34 साल से गैरसायलान के निरन्तर कब्जा काश्त में चली आ रही है। वर्तमान में गैरसायलान की बोई हुई फसल सरसब्ज हालत में खड़ी हुई है। दावा एवं प्रार्थना पत्र बेबुनियाद कारणों पर आधारित है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नंबर 5 गलत होने के कारण अस्वीकार है। उक्त भूमि ख०नं० 1571 गत 34 साल से निरन्तर गैरसायलान के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वर्तमान में गैरसायलान ने फसल बो रखी है। सायलान का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है और ना ही कब्जा है। इसलिए सायलान को किसी प्रकार की कोई क्षति होने का सवाल नहीं है।


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि सायलान का प्राइमा फेसी केस बिल्कुल साबित नहीं है।


जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नंबर 7 गलत होने के कारण अस्वीकार है। सुविधा का संतुलन गैरसायलान के हक में है, सायलान के हक में नहीं है।

अतः जबाब दर0 पेश कर निवेदन है कि दर0 मय खर्चा खारिज की जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070—73 पेश की है।


वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2070—73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 712 रकबा 0.27 है0, 788 रकबा 0.07 है0, 790 रकबा 0.08 है0, 794 रकबा 0.08 है0, 802 रकबा 0.08 है0, 834 रकबा 0.12 है0, 869 रकबा 0.20 है0, 873 रकबा 0.06 है0, 893 रकबा 0.15 है0, 897 रकबा 0.23 है0, 901 रकबा 0.07 है0, 934 रकबा 0.06 है0, 942/1609 रकबा 0.08 है0, 946 रकबा 0.13 है0, 950 रकबा 0.11 है0, 951 रकबा 0.11 है0, 954 रकबा 0.14 है0, 956 रकबा 0.04 है0, 974 रकबा 0.14 है0, 987 रकबा 0.20 है0, 1219 रकबा 0.28 है0, 1330 रकबा 0.18 है0, 1343 रकबा 0.15 है0, 1404 रकबा 0.03 है0, 1430 रकबा 0.29 है0, 1442 रकबा 0.13 है0, 1443 रकबा 0.31 है0, 1462 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह, 1463 रकबा 0.31 है0, 1464 रकबा 0.23 है0, 1470 रकबा 0.19 है0, 1488


उपसुप्राडेंट अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकबा 0.24 है0, 1571 रकबा 0.42 है0 कुल किता 33 कुल रकबा 5.19 है0 वाके ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन की खातेदारी महावीरया कलुवाराम शिवराम पि0 चम्पाराम हि0ब0हि0 1/2 विला रहन, मुरारीलाल राजीव पि0 नथुवा हि0ब0 हि0 1/2 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा महु इब्राहिमपुर (खसरा नम्बर 1571 को छोडकर) जाति मीना ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।


उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी में सायलान रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा उक्त विवादित आराजीयात विवादित आराजी खसरा नम्बर 712 रकबा 0.27 है0, 788 रकबा 0.07 है0, 790 रकबा 0.08 है0, 794 रकबा 0.08 है0, 802 रकबा 0.08 है0, 834 रकबा 0.12 है0, 869 रकबा 0.20 है0, 873 रकबा 0.06 है0, 893 रकबा 0.15 है0, 897 रकबा 0.23 है0, 901 रकबा 0.07 है0, 934 रकबा 0.06 है0, 942/1609 रकबा 0.08 है0, 946 रकबा 0.13 है0, 950 रकबा 0.11 है0, 951 रकबा 0.11 है0, 954 रकबा 0.14 है0, 956 रकबा 0.04 है0, 974 रकबा 0.14 है0, 987 रकबा 0.20 है0, 1219 रकबा 0.28 है0, 1330 रकबा 0.18 है0, 1343 रकबा 0.15 है0, 1404 रकबा 0.03 है0, 1430 रकबा 0.29 है0, 1442 रकबा 0.13 है0, 1443 रकबा 0.31 है0, 1462 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह, 1463 रकबा 0.31 है0, 1464 रकबा 0.23 है0, 1470 रकबा 0.19 है0, 1488 रकबा 0.24 है0, 1571 रकबा 0.42 है0 कुल किता 33 कुल रकबा 5.19 है0 वाके ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन सायलान महावीरया कलुवाराम शिवराम पि0 चम्पाराम हि0ब0हि0 1/2 भाग के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा 1/2 हिस्से के मुरारीलाल राजीव पि0 नथुवा जाति मीना सा0देह खातेदार काश्तकार हैं जिन्होंने उक्त आराजी सम्पूर्ण में से अपने सम्पूर्ण हि0 1/2 भाग की भूमि को बैंक ऑफ बडौदा शाखा महु इब्राहिमपुर में खसरा नम्बर 1571 को छोडकर रहन रखा हुआ है। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सायलान का विवादित आराजी खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन में हिस्सा 1/2 भाग पर कब्जा काश्त है। मुताविक राजस्व रिकार्ड गैरसायलान का उक्त विवादित आराजीयात से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित


उपरोक्त अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित होता है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे इसलिए गैरसायलान को उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन में सायलान के हिस्से तक कब्जा काशत में मजाहमत मदाखलत नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से तार्फैसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से तार्फैसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन में सायलान के हिस्से तक सायलान के कब्जा काशत में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना तो स्वयं करें और नाही किसी अन्य से करावें। पत्रावली फँसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हेमराज गुर्जर) 21/12/25
उपरवण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (कराला)
हिण्डौन जिला कराली